

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2015/675

दिनांक:- 24-9-15

आदेश

धौलपुर आवासीय अभियन्ता खण्ड-भरतपुर के अधीन निर्मित आवासों को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम के प्रस्तावानुसार किराया क्य पद्धति पर खुली बिक्री योजना के माध्यम से निस्तारण किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	श्रेणी	रिफण्ड/निष्पादित आवास	कुल आवास
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	3/176, 3/181	2 आवास
2.	अल्प आय वर्ग	3/216, 2/87	2 आवास
3.	मध्यम आय वर्ग-अ	3/242, 3/257	2 आवास

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर किराया क्य पद्धति पर खुली बिक्री योजना से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है, उक्त आवासों के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवास किराया क्य पद्धति पर खुली बिक्री योजना हेतु रिक्त नहीं है एवं उक्त आवासों का निस्तारण प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे तथा आवासों का निस्तारण किराया क्य पद्धति पर खुली बिक्री योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती है।

उक्त आदेशों को नोट शीट पैरा 78-79/एन पर अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महादेय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-तृतीय/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त अलवर, रा0आ0म0 अलवर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड भरतपुर, रा0आ0म0 भरतपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक